पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 02 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-27.08.2024

दिनांक 26/27.08.2024 को थाना गाजीपुर 01, रहीमाबाद 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना अलीगंज 01,कृष्णानगर 01,नगराम 02,निगोहाँ 02,गाजीपुर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना पीजीआई-दिनांक 27.08.2024 थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री प्रदीप शुक्ला पुत्र राम नेवाज शुक्ला निवासी मकान नं0- 2/337 बड़ा भरवारा विराज खण्ड-2 गोमतीनगर लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2024 को वादी की पत्नी अनममिका शुक्ला बड़ा भरवारा लखनऊ से कन्नवा बछरावा जा रही थी,हुसडिया से ऑटो में बैठकर उतरठिया उतर कर बस का इंतजार कर रही थी तभी एक महिला पुरुष वादी की पत्नी के पास आकर खड़े हो गये महिला ने वादी की पत्नी से पूछा क्या यहाँ ए0टी0एम0 है वादी की पत्नी ने कहा की मुझे नही पता इस पर महिला ने उस पुरुष से पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता फिर उस पुरुष ने उस महिला से कहा ए0टी0एम0 का क्या करोगी महिला ने बताया कि मुझे पैसे जमा करने है मेरे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है तो मैं उसके यहाँ से पैस लेकर भाग आयी हूँ। ए0टी0एम0 में जमा करके अपने घर बिहार चली जाँउगी इस पर उसके साथ खड़े पुरुष ने वादी की पत्नी सेकहा कि यह महिला मानसिक रुप से कमजोर दिख रही है कोई इसका पैसा ले लेगा चलिये हम आप इसकी मदद कर दें। इसे बिहार जाना है इसे खिला पिला कर गाड़ी पर बैठा देंगे। इस का पैसा कोई न कोई ले लेगा हम लोग लेकर आधा-आधा बाँट लेंगे। वादी की पत्नी लालच में आ गयी। तथा उस पुरुष और महिला के साथ चली गयी महिला को विश्वास दिलाने के नाम पर उस पुरुष ने वादी की पत्नी के मंगलसूत्र,कान का टॉप्स व पायल एक रुमाल मे रखकर बाँध दिया कुछ देर बाद कहा कि दीदी चलो इसको नाश्ता करा के छोड़ देते है। वादी की पत्नी को एक दुकान पर रुमाल दे दिया तथा आने की बात कहकर उस महिला के साथ चला गया। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद वादी की पत्नी ने जब रुमाल खोला तो उसमें जेवरात न होकर कंकड़ थे। तब वादी की पत्नी ने रोते हुये वादी पर फोन किया और वादी घर से उतरठिया आया। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 596/2024 धारा 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गाजीपुर-दिनांक 27.08.2024 थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री डा0 संजय कुमार हिन्द निवासी 3/3 टाइप-4 पी0डब्लू0डी0 कालोनी जेल रोड लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2024 को समय करीब 12.30 से 01.00 बजे के मध्य वादी अपनी गाडी यू0पी0 32 एल0एच0 1941 वेन्यू से लेखराज की तरफ से पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ आ रहा था कि पॉलिटेक्निक चौराहे के सिग्नल पर गाडी खडी हुयी तभी दो लड़के आये और फर्जी गाड़ी लड़ने का बहाना बनाकर जबरन खिड़की खुलवाने लगे। एक लड़का बायें तरफ आया जैसे ही वादी ने खिड़की खोली तब तक दूसरा लड़का वादी के दाहिने तरफ आकर खिड़की पीटने लगा,जब तक वादी दाहिने तरफ देखता उतनी देर में बायें तरफ वाला लड़का वादी की बायीं सीट पर रखे दो मोबाइल फोन (1.आई-फोन-15, 2.सैमसंग जे-8) निकाल कर ले गया। जब सिग्नल खुला गाडी आगे बढाया तो देखा की वादी के दोनों मोबाइल गायब है। वादी ने तुरन्त पॉलिटेक्निक चौराहे पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 365/2024 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पारा-</u>दिनांक 27.08.2024 थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामखेलावन पुत्र दीन दयाल निवासी खसरा नं0 402 मायापुरम बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 26.08.2024 को रात्रि समय करीब 02.00 से 03.30 बजे के मध्य वादी अपनी पत्नी व बच्चो के साथ अपने कमरे में सो रहा था। रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान में चढकर ऊपर से नीचे उतर कर मकान में से कीमती जेवरात व एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 484/2024 धारा 305(ए) का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना नगराम-</u>दिनांक 27.08.2024 थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री सर्वेश कुमार शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा निवासी नगर चौआ पोस्ट महोना थाना इटौंजा लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि वादी थाना क्षेत्र में इण्डस प्रा0 लिमिटेड कम्पनी के मोबाइल टॉवर में टेक्निशियन के पद पर कार्यरत है। दिनांक 24/25.08.2024 की रात्रि को ग्राम केवली मे लगे हुए इण्डस कम्पनी के टॉवर जिसकी आई0डी0 संख्या 2044189 है पर लगे हुए बैट्री बैंक अमर राजा 600 AH (24 सेल) को कुछ अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिससे टॉवर के संचालन में बाधा उत्पन्न हुयी है। **इस सूचना पर थाना नगराम पर मु0अ0सं0 221/2024 धारा 303(2) का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना कृष्णानगर-</u>आज दिनांक 27.08.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि लोकबन्धु हॉस्पिटल लखनऊ से आज समय करीब 11.01 बजे सुबह में एक मेमों थाना स्थानीय पर इस आशय से भेजा गया कि श्री रोहित कुमार उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र सुभाष शर्मा निवासी पोस्ट बन्थरा गल्ला मण्डी थाना बन्थरा को दिनांक 26.08.2024 समय 07.35 शाम इमरजेन्सी में भर्ती किया गया। रोहित उपरोक्त को भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। दिनांक 27.08.2024 समय 01.36 बजे सुबह रोहित उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर उ0नि0 प्रशान्त सिंह मो0नं0-8090408280 थाना कृष्णानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि** रोहित कुमार उपरोक्त बिहार का निवासी है जो पिछले 15 दिनो से बन्थरा गल्ला मण्डी में मजदूरी का कार्य करता है। रोहित उपरोक्त के एक पुत्र व एक पुत्री है। रोहित कुमार उपरोक्त को बन्थरा गल्ला मण्डी में काम के बाद खाना खाकर उठने पर चक्कर आने से गिर गया जिससे सहयोगी साथियो द्वारा इलाज के लिए लोकबन्धु हास्पिटल ले जाया गया। जिसे दिनांक 26.08.2024 को इमरजेन्सी में भर्ती कराया गया। जहां पर दिनांक 27.08.2024 को डॉक्टरो द्वारा बताया गया कि रोहित उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है।